मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 12–05/2018/सत्रह/मेडि–1 भोपाल दिनांक 27/07/2018

प्रति,

डॉ. के.के. शुक्ला
तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
वर्तमान में सेवानिवृत्त (दि. 31.07.2015)
जिला सीधी म.प्र.

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग, रीवा म.प्र. ।
विषय:–आरोप–पत्र – डॉ. के.के. शुक्ला, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी म.प्र. ।

आपको सूचित किया जाता है कि म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–9 सहपठित म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया हैं । अभिकथन जिस पर आरोप आधारित है उसका विवरण संलग्न अभिकथन–पत्र में दिये गये अनुसार है । अभिकथन–पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिसके आधार पर आरोप प्रस्तावित है, वह भी संलग्न हैं ।

1. आपसे इस पत्र के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि पत्र मिलने के 15 दिवस के अन्दर आप अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजे साथ ही यह बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है ।
(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें ।
(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्ही अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें ।
(द) यदि आप आरोप–पत्रादि के साथ सलंग्न सूची में दर्शित अभिलेखों का अवलोकन करना चाहते है तो आप किसी भी कार्य दिवस के अन्दर देखें । यह कार्य इस पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अन्दर समाप्त कर दिया जावेगा ।

2. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगीं । जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें ।
3. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति अविलंब भेजने का कष्ट करें ।

संलग्नः–

1. आरोप–पत्र 2. अभिकथन–पत्र
3 अभिलेखों की सूची 4. गवाहों की सूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

...2...

पृ0क्रमांक एफ 12–05/2018/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक २७/07/2018

प्रतिलिपि :– निम्नांकितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. कलेक्टर, जिला सीधी म.प्र.।
4. उप संचालक, (विज्ञप्त) गोपनीय, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग, रीवा म.प्र. की ओर भेजकर लेख हैं कि डॉ. के. के. शुक्ला, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीधी (वर्तमान में दि. 31.07.15 को सेवानिवृत्त) को आरोप–पत्रादि की तामिली कराते हुए तामिली पावती उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीधी म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सीधी ।
8. प्रभारी, एम.आई.सेल, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
9. गार्ड फाईल ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
28 JUL 2018
4983
आवक क्र.........

....3...

// आरोप–पत्र //

डॉ. के.के. शुक्ला, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीधी म. प्र. के विरूद्ध म. प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–9 सहपठित म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–14 (3) के तहत निम्नलिखित आरोप अधिरोपित किये जाते हैं :–

आरोप क्रमांक–1 :–

यह कि आप डॉ. के.के. शुक्ला, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी म. प्र. में पदस्थ रहे हैं । आपकी पदस्थापना के दौरान 04 सितंबर, 2014 से 6 सितंबर, 2014 तक वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया गया । तत्पश्चात् सचिव जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय सीधी का कम्पोनेंट अनुसार विशेष ऑडिट दल द्वारा दिनांक 23.09.2014 को संबंधित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण किया गया । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की राज्य स्वास्थ्य समिति भोपाल के आदेश क्रमांक एन.एच.एम./वित्त/2014/7415 दिनांक 09.09.14 द्वारा गठित विशेष आडिट दल द्वारा प्रस्तुत ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार निम्न वित्तीय अनियमिततायें पाई गई हैं :–

यह कि आपके द्वारा सर्पोटिंग सुपरविजन अर्न्तगत राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में वाहनों की रूपये 18000/– मासिक, और 1000 किलोमीटर प्रति वाहन एवं अतिरिक्त कि. मी. हेतु 8/– रूपये प्रति कि. मी. की दर की अनुशंसा अनुसार 20 वाहनों को अनुबंधित किया गया, जिनमें से 06 वाहनों का टेक्सी कोटे में पंजीकृत होना नहीं पाया गया तथा उक्त वाहनों की लागबुक, बीमा, पंजीकरण एवं संचालन/संधारण संबंधी समुचित अभिलेखों के बिना उक्त वाहनों के देयकों का भुगतान किया गया हैं ।

आपके द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी. 17 टी.ए. 1048 का दैनिक दर पर अनुबंध किया जाकर एक माह में राशि रूपये 52,465/– का भुगतान किया गया, जबकि मासिक दर के आधार पर इस वाहन का राशि रूपये 43,688/– का भुगतान होना था । इस प्रकार आपके द्वारा राशि रूपये 8777/– का अधिक भुगतान कर शासन को हानि पहुंचाई गई हैं ।

आरोप क्रमांक 2:–

यह कि आपके द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के परिपत्र क्रमांक 440 दिनांक 26.10.2012 के द्वारा प्रदेश में जननी एक्सप्रेस योजना के संचालन के संबंध में जारी किये गये दिशा निर्देशों की कंडिका (6) के विरूद्ध बिना जी.पी.एस. सिस्टम के वाहनों को अनुबंधित किया जाकर उन्हें राशि रूपये 10,60,684/– का भुगतान दिशा निर्देशों के विरूद्ध किया जाना पाया गया हैं ।

यह कि आपको संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के क्रमांक/4/शिका./सेल–1/सीधी/एस. सी.एन./2014/2883 दिनांक 05.11.14 द्वारा एस.सी.एन. जारी करने के अलावा भी आपको एवं श्री आर. आर. खन्ना प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला सीधी तथा श्री सतीश मिश्रा जिला लेखा प्रबंधक जिला सीधी को तत्संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के पत्र क्रमांक/एन.एच.आर.एम./लेखा/क.आ./14–15/9888 दिनांक 19.11.2014 द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किये गये हैं ।

इस प्रकार आपके द्वारा पदीय दायित्वों का उचित निर्वहन न किया जाकर गंभीर लापरवाही बरती गई जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–(3) के उप नियम (i) (ii) (iii) का उल्लंघन हैं, आपने स्वयं को म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–9 सहपठित म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–14(3) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

AN

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

....4...

// अभिकथन–पत्र //

डॉ. के.के. शुक्ला, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी म. प्र. के विरूद्ध म. प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 सहपठित म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14(3) के तहत अभिकथन पत्रक :–

आरोप क्रमांक 1 के लिये:–

यह कि आप डॉ. के.के. शुक्ला, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी म. प्र. में पदस्थ रहे हैं । आपकी उक्त पदस्थापना के दौरान 04 सितंबर, 2014 से6सितंबर, 2014 तक वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया गया । तत्पश्चात् सचिव जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय सीधी का कम्पोनेंट अनुसार विशेष ऑडिट दल द्वारा दिनांक 23.09.2014 को संबंधित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण किया गया । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की राज्य स्वास्थ्य समिति भोपाल के आदेश क्रमांक एन.एच.एम./वित्त/2014/7415 दिनांक 09.09.14 द्वारा गठित विशेष आडिट दल द्वारा करवाया गया । आडिट दल द्वारा प्रस्तुत आडिट प्रतिवेदन एवं संचालक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की टीप दिनांक 15.10.14 के अनुसार निम्न वित्तीय अनियमिततायें पाई गई हैं:–

यह कि आपके द्वारा सर्पोटिंग सुपरविजन अर्न्तगत राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में वाहनों की रूपये 18000/– मासिक, और 1000 किलोमीटर प्रति वाहन एवं अतिरिक्त कि. मी. हेतु 8/– रूपये प्रति कि. मी. की दर की अनुशंसा अनुसार 20 वाहनों को अनुबंधित किया गया, जिनमें से 06 वाहनों का टेक्सी कोटे में पंजीकृत होना नहीं पाया गया तथा उक्त वाहनों की लागबुक, बीमा, पंजीकरण एवं संचालन/संधारण संबंधी समुचित अभिलेखों के बिना उक्त वाहनों के देयकों का भुगतान किया गया हैं ।

आपके द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी. 17 टी.ए. 1048 का दैनिक दर पर अनुबंध किया जाकर एक माह में राशि रूपये 52,465/– का भुगतान किया गया, जबकि मासिक दर के आधार पर इस वाहन का राशि रूपये 43,688/– का भुगतान होना था । इस प्रकार आपके द्वारा राशि रूपये 8777/– का अधिक भुगतान कर शासन को हानि पहुंचाई गई हैं ।

आरोप क्रमांक 2 के लिये:–

यह कि आपके द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के परिपत्र क्रमांक 440 दिनांक 26.10.2012 के द्वारा प्रदेश में जननी एक्सप्रेस योजना के संचालन के संबंध में जारी किये गये दिशा निर्देशों की कंडिका (6) के विरूद्ध बिना जी.पी.एस. सिस्टम के वाहनों को अनुबंधित किया जाकर उन्हें राशि रूपये 10,60,684/– का भुगतान दिशा निर्देशों के विरूद्ध किया जाना पाया गया हैं ।

यह कि आपको संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के क्रमांक/4/शिका./सेल–1/सीधी/एस. सी.एन./2014/2883 दिनांक 05.11.14 द्वारा एस.सी.एन. जारी करने के अलावा भी आपको एवं श्री आर. आर. खन्ना प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला सीधी तथा श्री सतीश मिश्रा जिला लेखा प्रबंधक जिला सीधी को तत्संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के पत्र क्रमांक/एन.एच.आर.एम./लेखा/कं.आ. /14–15/9888 दिनांक 19.11.2014 द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किये गये हैं ।

इस प्रकार आपके द्वारा पदीय दायित्वों का उचित निर्वहन न किया जाकर गंभीर लापरवाही बरती गई जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–(3) के उप नियम (i) (ii) (iii) का उल्लंघन हैं, आपने स्वयं को म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–9 सहपठित म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–14(3) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

AN

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

....5..

// अभिलेखों की सूची //

डॉ. के.के. शुक्ला, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी म. प्र. के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–9 सहपठित म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14(3) के अन्तर्गत अधिरोपित आरोपों के संबंध में अभिलेखों की सूची :–

1. अधिकारियों के निरीक्षण दल द्वारा किया गया निरीक्षण दिनांक 04.09.2014 से दिनांक 06.09.2014 तक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के आदेश कमांक/एन.एच.एम./वित्त/2014/7415 दिनांक 09.09.14 द्वारा गठित विशेष आडिट दल द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं संचालक (वित्त), एन.एच.एम.,की टीप दिनांक 15.10.14.
2. संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के कमांक/4/शिका./सेल–1/सीधी/एस.सी.एन./2014/2883 दिनांक 05.11.14 द्वारा जारी कारण बताओ सूचना–पत्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के पत्र कमांक/एन.एच.आर.एम./लेखा/कं.आ./14–15/9888 दिनांक 19.11.2014 द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

A.N

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

// गवाहों की सूची //

डॉ. के.के. शुक्ला, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी म. प्र. के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–9 सहपठित म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14(3) के अन्तर्गत अधिरोपित आरोपों के संबंध में गवाहों की सूची:–

1. श्री एस.आर. सरवर, उप संचालक वित्त एन.एच.एम. भोपाल ।
2. श्री संतोष सिंह, तत्कालीन सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल ।
3. श्री कपिल अवस्थी संभागीय लेखा प्रबंधक जबलपुर संभाग जबलपुर ।
4. श्री सुमित धनकानी, प्रतिनिधि मेसर्स एस.बी.ए. एण्ड कम्पनी आडिटर वर्ष 2014–15 ।
5. लेखापाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी ।
6. राज्य लेखा प्रबंधक, कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल म.प्र. ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

AN

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग